राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –126/2017/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबू रोड़ .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जे.वी.एल एग्रो फुड्स,
207, एमआईए, अलवर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 03.04.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 70/आरवैट/ 2015–16/अपी. प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, आबू रोड (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने दिनांक 14.07.2015 को वाहन संख्या GJ 12 AY–4554 को मावल पर चैक करने पर उसमें सूरत से अलवर के लिये सोया रिफाइण्ड खाद्य तेल परिवहनित किया जा रहा था। परिवाहनित माल के संबध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा 'एफ' फार्म, जी.आर. इत्यादि पेश किये गये। वाहन चालक द्वारा वेट–47 पेश नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनीत माल को अधिसूचित श्रेणी का मानते हुए परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वेट–47 न होने के कारण इसे अधिनियम की धारा 76(2) को उल्लघंन माना तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी फर्म की ओर से श्री राकेश शर्मा ने जवाब के साथ नया वेट–47 पेश कर कथन किया कि उक्त परिवनित माल ब्रांच ट्रांसफर था जिसके साथ प्रपत्र 'एफ' संलग्न था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जवाब के साथ उक्त प्रस्तुत वैट 47 को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत माल की कीमत 11,01,965/– पर शास्ति रू0

03/04/18

लगातार.....2.

3,30,590/– अधिरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलप्रस्तुत की गई। अपीली अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स डी.पी. मेटल्स** के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया । अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 05.07.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.07.2016 का खण्डन करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी की वस्तु है, जिसके परिवहन के दौरान घोषण पत्र वेट–47 होना आज्ञापक है। जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा घोषणा प्रपत्र वेट–47 प्रस्तुत नहीं किया गया व प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपने जवाब के साथ आनलाईन जनरेटेड वेट –47ए के स्थान पर मेनूअल घोषणा पत्र वेट–47 पेश किया गया जो कि व्यवहारी की एक पश्चात्वर्ती सोच थी। व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लघंन किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण विधि सम्मत था, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपास्त कर दिया गया। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.07.2016 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा विदेश से माल आयात करके सूरत से अलवर के लिये खाद्य तेल परिवहनित किया जा रहा था, जो कि ब्रांच ट्रांसफर था। जिसके साथ जांच के समय स्टॉक ट्रांसफर मीमो, बिल्टी गुजरात राज्य का घोषणा पत्र फर्म 402 मौजूद थे। परिवाहनित माल के साथ भूलवश ट्रांसपोर्टर द्वारा वेट–47 संलग्न होने से रह गया था किन्तु इसकी आवश्यकता भी नहीं थी क्योकि परिवहनित माल भारत के बाहर से आयात किये जाने के कारण वेट–47 की आवश्यकता नहीं थी। इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी द्वारा पुनः पूर्ण भरा हुआ वेट 47 जवाब के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अमान्य मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जो अविधिक था। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की सही व्याख्या करते हुए व विधिक प्रावधानों के अनुकूल आदेश पारित किया है इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने इस कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर अपीलीय आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। अपने

लगातार.....3.

03/04/18

कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा **मैसर्स डी.पी. मैटल्स** 124 एस.टी.सी. 611 एवं **मैसर्स शेरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी** के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मन अध्ययन किया गया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल परिवहनित किया जा रहा था। व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त माल के भारत के बाहर से आयातित होने के साक्ष्य स्वरूप बिल ऑफ एन्ट्री फोर होम कंज्मपशन की छायाप्रति एवं मैसर्स जे.वी. एल. एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. तालुका अंजार (कच्छ) के आउटवर्ड गेटपास की छायाप्रति पेश की। अपीलीय अधिकारी द्वारा वक्त चैंकिग वाहन चालक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवहनित माल के साथ प्रारूप वैट–47 नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म को अधिनियम की धारा 76(2) के नियम 53 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में फर्म मालिक द्वारा जवाब के साथ वैट–47 पेश किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया। किन्तु वर्तमान प्रकरण में आयातित माल का परिवहन किया जा रहा था। वक्त जांच माल के साथ स्टॉक ट्रांसफर मीमो, बिल्टी गुजरात राज्य का घोषणा पत्र फर्म 402 मौजूद थे। वेट अधिनियम की धारा 53 में संशोधन any place within India के स्थान पर any place out side the State हुआ है। उक्त माल पर वेट–47 की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जवाब के साथ वेट–47 प्रस्तुत कर दिया गया था। जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स डी.पी. मैटल्स** 124 एस.टी.सी. 611 प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में धारा 76 का कोई उल्लघंन कारित नहीं होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच के समय परिवहनित माल के साथ घोाणा पत्र वैट–47 संलग्न नहीं पाये जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 76(2)(b) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.07.2016 पुष्ट किये जाने योग्य है।

8. परिणामस्वरूप उक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2016 की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

03/04/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य